न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/327
मिसल नम्बर–96/2025

1.श्रीमती सुमन सक्सेना पत्नि स्व0 श्री देवेन्द्र सक्सेना (पुत्र स्व0 श्री गिरधर गोपाल सक्सेना)
2.श्रीमती रजनी सक्सेना पत्नि स्व0 श्री चेतन सक्सेना (पुत्र स्व0 श्री गिरधर गोपाल सक्सेना)
3.आदर्श सक्सेना पुत्र स्व0 देवेन्द्र सक्सेना (पुत्र स्व0 गिरधर गोपाल सक्सेना)
4.सत्यप्रिय सक्सेना पुत्र स्व0 श्री देवेन्द्र सक्सेना (पुत्र स्व0 गिरधर गोपाल सक्सेना) निवासीगण कुन्हाड़ी कोटा राज0
5.भावना सक्सेना पुत्री स्व0 चेतन सक्सेना (पुत्र स्व0 श्री गिरधर गोपाल सक्सेना) निवासी नयापुरा कोटा राज0 जर्ये मुख्तारआम श्री उपेन्द्र देव सक्सेना पुत्र स्व0 श्री चेतन सक्सेना

–वादीगण

बनाम

1.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

–प्रतिवादी

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 25/7/25

उपस्थित–
1.श्री उपदेश सिंह अभिभाषक वादी
2.सरकार पेरोकार।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत् वाद–पत्र वादी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सोगरिया पटवार हल्का सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 47 की खसरा नम्बर 210/439 रकबा 0.06 है0 खातेदार घनश्याम पुत्र छोगा लाल हिस्सा पूर्ण जाति खत्री साकिन कोटा के नाम दर्ज रिकोर्ड है। जमाबंदी संवत 2038–2057 के अनुसार खसरा नम्बर 210/439 रकबा 0.06 है0 घनश्यामदास पुत्र छोगा लाल कोम खत्री साकिन कोटा के नाम दर्ज रिकोर्ड थी। भू प्रबंध से पूर्व खसरा नम्बर 190 का रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 190/340 का रकबा 6 बिस्वा दर्ज रिकोर्ड था। दौराने भू प्रबंध खसरा नम्बर 190 रकबा 3 बिस्वा तथा 190/340 रकबा 6 बिस्वा के नये नम्बर 210/439 रकबा 0.06 है बनाया गया। मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है। खातेदार घनश्यामदास पूत्र श्री छोगामल जाति खत्री द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त आराजी का बेचान दिनांक 07.05.1977 को जरयें रजिस्ट्ड विक्रय पत्र श्री गिरधर गोपाल सक्सेना आत्मज मुंशी हरसहाय जाति कायस्थ सक्सेना निवासी नयापुरा कोटा को कर दिया था। (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है।) उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल राजस्व जमाबंदी मे नही होने के कारण उक्त आराजी आज भी जमाबंदी मैं घनश्यामदास के नाम दर्ज चली आ रही है, जबकि दिनांक 07.05.1977 के विक्रय पत्र उपरांत उक्त आराजी क्रेता श्री गिरधरगोपाल सक्सेना के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कर जानी चाहिए थी। श्री गिरधर गोपाल सक्सेना का दिनांक 15.08.1985 को देहांत हो चुका है तथा उनके पुत्रों श्री देवेन्द्र कुमार सक्सेना व श्री चेतन सक्सेना का भी देहांत हो चुका है। (मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न है।) वादीगण श्री गिरधर गोपाल सक्सेना के वारिस ग्राम सोगरिया की वादग्रस्त आराजी को अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। चूंकि मामला अर्जेन्ट नेचर का है अतः राज्य सरकार को दो माह का नोटिस दिये जाने का समय नही है इसलिए नोटिस के अभाव मे अलग से धारा 80(2) सीपीसी का आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवा कर माननीय न्यायालय से स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवा सके जिसके लिए अन्य विकल्प नही होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि– ''वादीगण को ग्राम सोगरिया की आराजी खसरा नम्बर 210/439 रकबा 0.06 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।''

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी से जवाब प्राप्त किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम सोगरिया में वर्तमान ख0नं0 210/439 रकबा 0.06 भूमि घनश्याम पुत्र छोगालाल जाति खत्री के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि की रजिस्ट्री सेटलमेंट के पूर्व घनश्याम पुत्र छोगालाल जाति खत्री द्वारा क0सं0 47 दिनांक 05.05.1977 से क्रेता गिरधर गोपाल सक्सेना पुत्र मुंशी हरसाय जाति कायस्थस क्सेना निवासी नयापुरा कोटा को कर दिया था। सेटलमेंट से पूर्व उक्त खसरा नम्बरान जो कि रजि0 में जो अंकित है वह 190 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नं0 190/340 रकबा 6 बिस्वा थे जो कि मिलना क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान नम्बर 210/439 बना। वर्तमान में खसरा नं0 210/439 रकबा 0.06 है0 पर क्रेता गिरधरगोपाल के वारीसान का ही कब्जा है। गिरधर गोपाल फौत हो चुका है जिसके दो पुत्र देवेन्द्र कुमार व चेतन सक्सेना थे वे दोना भी फौत हो चुके है।

दावा एवं जवाब दावा की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौराने बहस वादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये वादग्रस्त में वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 07.05.1977 के अवलोकन से वादीगण द्वारा किये गये इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घनश्यामदास आत्मज श्री छोगालाल जाति खत्री द्वारा ग्राम सोगरिया के साबिक खसरा नं0 190/340 रकबा 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बिस्वा एवं खसरा नं0 190 रकबा 3 बिस्वा का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री गिरधरगोपाल पुत्र श्री मुंशी हरसाय जाति कायस्थ सक्सेना को कर दिया था। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नं0 190/340 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा नं0 190 रकबा 3 बिस्वा से नया खसरा नं0 210/439 रकबा 0.06 है0 बना जो वर्तमान में घनश्यामदास आत्मज श्री छोगालाल जाति खत्री के नाम ही दर्ज है। प्रतिवादी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम सोगरिया में वर्तमान ख0नं0 210/439 रकबा 0.06 भूमि घनश्याम पुत्र छोगालाल जाति खत्री के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि की रजिस्ट्री सेटलमेंट के पूर्व घनश्याम पुत्र छोगालाल जाति खत्री द्वारा क0सं0 47 दिनांक 05.05.1977 से क्रेता गिरधर गोपाल सक्सेना पुत्र मुंशी हरसाय जाति कायस्थस क्सेना निवासी नयापुरा कोटा को कर दिया था। सेटलमेंट से पूर्व उक्त खसरा नम्बरान जो कि रजि0 में जो अंकित है वह 190 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नं0 190/340 रकबा 6 बिस्वा थे जो कि मिलना क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान नम्बर 210/439 बना। वर्तमान में खसरा नं0 210/439 रकबा 0.06 है0 पर क्रेता गिरधरगोपाल के वारीसान का ही कब्जा है। जिससे भी वादीगण द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि होती है। गिरधरगोपाल फौत हो चुके है एवं गिरधरगोपाल के दो पुत्र देवेन्द्र कुमार एवं चेतन सक्सेना भी फौत हो चुके है। वर्तमान में उक्त आराजी पर गिरधरगोपाल के वारिसान वादीगण का ही कब्जा है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सोगरिया में स्थित खसरा नं0 210/439 रकबा 0.06 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में घनश्याम पुत्र छोगालाल जाति खत्री के स्थान पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार सभी 6 वारीसान का नाम दर्ज करे। डिक्री पर्चा पृथक से किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा